

फर्द अहकाम  
(नियम -26)  
न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.) जायल जिला नागौर

अप्रार्थीगण

रामचन्द्र वगैरह

बनाम

मुकदमा सं. 72/2019

नेमाराम वगैरह

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
इस हुकम को  
तामिल में  
जासी हुये

2019

यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपटित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रार्थी के वकील श्री बस्तीराम ढाका ने पेश किया। बहस वकील प्रार्थी की एक पक्षीय सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, शपथ पत्र का अवलोकन किया गया जिससे प्रथम दृष्टया मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है एवं यदि मौजा मांगलोद के खसरा नं. 115 रकबा 5.0826 हैक्टेयर, खसरा नं. 332 रकबा 4.1763 हैक्टेयर, खसरा नं. 556 रकबा 2.1044, हैक्टेयर, खसरा नं. 730 रकबा 1.9668 हैक्टेयर, खसरा नं. 556/2 रकबा 2.3229 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में परिवर्तन तथा भूमि का बैचान, एवं हस्तान्तरण यदि होता है तो अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी पक्ष को होगी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला विवादित खसरा के विभाजन का प्रतीत होता है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों पक्षों का हिस्सा निहित है। यदि उक्त भूमि में सुविधा संतुलन भी उभय पक्षकारान के पक्ष में प्रतीत होता है तथा उक्त भूमि का बिना विधिवत् भूमि का बैचान, हस्तान्तरण इत्यादि होता है तो अपूरणीय क्षति भी उभयपक्षकारान को होगी।

अतः उभय पक्षकारान को जरिये अन्तिरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि वो मौजा मांगलोद के खसरा नं. 115 रकबा 5.0826 हैक्टेयर, खसरा नं. 332 रकबा 4.1763 हैक्टेयर, खसरा नं. 556 रकबा 2.1044, हैक्टेयर, खसरा नं. 730 रकबा 1.9668 हैक्टेयर, खसरा नं. 556/2 रकबा 2.3229 हैक्टेयर भूमि का बैचान, एवं हस्तान्तरण नहीं करे एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थीगण को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण के सही पते के सम्मन् जरिये रजिस्टर ए.डी. के भिजवाये जाने का खर्चा स्वयं वहन करे। पत्रावली दिनांक 24.02.2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)  
नागौर जिला नागौर

4.4.20

वकील प्रार्थी उपरो. अप्रार्थीगण के लम्बन जरिये रजि.  
अव. के गिजवाये जाने से, जो जारी नहीं है। रजि.  
लम्बन जारी ही जारी होकर पत्रावली दिनांक 30/4/20  
के पक्ष ही।

अकार/पसकारान के अधिवक्ता

30/3

केवेना/जुडजुज

गोठसीन श्री... की मिति में/अवकाश  
प्रकाश पत्र... है, इसलिए प्रकृषण  
नके समय दिनांक 17/6/20... को  
प्रस्तुत करें।

अकार/पसकारान के अधिवक्ता

17.6.20

गोठसीन श्री... की मिति में/अवकाश  
प्रकाश पत्र... है, इसलिए प्रकृषण  
नके समय दिनांक 27.7.20... को  
प्रस्तुत करें।

अकार/पसकारान के अधिवक्ता

22.8.20

गोठसीन श्री... की मिति में/अवकाश  
प्रकाश पत्र... है, इसलिए प्रकृषण  
नके समय दिनांक 17.9.20... को  
प्रस्तुत करें।

अकार/पसकारान के अधिवक्ता

17.9.20

केवेना

गोठसीन श्री... की मिति में/अवकाश  
प्रकाश पत्र... है, इसलिए प्रकृषण  
नके समय दिनांक 9.11.20... को  
प्रस्तुत करें।

अकार/पसकारान के अधिवक्ता

9.11.20

गोठसीन श्री... की मिति में/अवकाश  
प्रकाश पत्र... है, इसलिए प्रकृषण  
नके समय दिनांक 4.1.21... को  
प्रस्तुत करें।

अकार/पसकारान के अधिवक्ता

4.1.21

गोठसीन श्री... की मिति में/अवकाश  
प्रकाश पत्र... है, इसलिए प्रकृषण  
नके समय दिनांक 12.2.21... को  
प्रस्तुत करें।

अकार/पसकारान के अधिवक्ता

12.2.21

गोठसीन श्री... की मिति में/अवकाश  
प्रकाश पत्र... है, इसलिए प्रकृषण  
नके समय दिनांक 9.6.21... को  
प्रस्तुत करें।

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज् अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

बनाम्

मुकदमा नं.-

सम प्रकरण :

नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।

तारिख हुकम

हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज

10/05/21

9/6/21

गोठाम

प्रवण

बसकाम

प्रवण

रवके स...

11/5/21

बसकाम

11/05/21

गोठाम

प्रवण

बसकाम

प्रवण

रवके स...

17/06/21

17/06/21: वकुलाम उपना जल आदेश की पालना हेतु मिसल दिनांक: 11/08/21 को पेश हो।

एस.डी.एम. (एस.डी.एम.)  
जायल, नागौर

11/08/21: वकुलाम उपना जल आदेश की पालना हेतु मिसल दिनांक: 11/08/21 को पेश हो।

एस.डी.एम. (एस.डी.एम.)  
जायल, नागौर

17/08/21: वकुलाम उपना जल आदेश की पालना हेतु मिसल दिनांक: 21/10/21 को पेश हो।

11/10/21: वकुलाम उपना जल आदेश की पालना हेतु मिसल दिनांक: 11/10/21 को पेश हो।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इतिहास जज
11/11	पक्षकार/पक्षकारान के अधिकारता <b>Cont-19</b> पीठासीन अधिकारी को निर्दिष्ट वे/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 14/3/22 को प्रस्तुत करें।
14/3/22	पक्षकार/पक्षकारान के अधिकारता <b>बात बंध जयल डीए</b> पीठासीन अधिकारी को निर्दिष्ट वे/प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 10/5/22 को प्रस्तुत करें।
10/5/22	पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थीगण हाजिर आये। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है जिससे प्रार्थना पत्र को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। प्रार्थीगण को बुना गया। प्रार्थीगण की पहचान वकील श्री अम्बालाल पाररार द्वारा की गयी अतः प्रार्थीगण की अरि प्रस्तुत किडोल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्बिन द्वारा 212 R.T. Act का जरिये किडोल श्वारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय नम्बर से कम होकर बाद आपका कार्यवाही दायित्व स्पष्ट है।

11/11/22  
 प्रमाण  
 जयल

जज  
 जयल जिला नागौर